

2015/47

मुन्नी V/S नरकत

25/10/24

पत्रावली पेश हुई। वारी-वारी आधीवक्ता
उपस्थित अर्थात् 3 पत्र वारी-वारी की
तलाबी व जवाब लेने (आवली) दिनांक
6/11/24 को पेश की

Raveeh surana

6/11/24

पत्रावली पेश हुई। वारी-वारी आधीवक्ता
अनुपस्थित। वारी-वारी आधीवक्ता को
नियमानुसार तीन बार आवाजे लगावाई गई।
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM
हो चुका है। वारी-वारी आधीवक्ता के उपस्थित
नहीं होने से न्यायाधीश में पुनः एक बार आवाज
लगावाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
उपस्थित सं. 2 के आधीवक्ता उप. उपस्थित सं.
2 की मृत्यु होने के उपरान्त वारी को काफ़ी
सुकामान पेश करने हेतु कई अवसर दिए जा
चुके हैं। मूल उपस्थित सं. 2 के आधीवक्ता द्वारा
अपनी उपस्थिति आदेशिका पर व्यक्ति की
गई। वारी-वारी आधीवक्ता को बार-बार
आवाजे लगावाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।

2/11/24
पत्रावली-2
की ओर

अतः वारी-वारी द्वारा उपर्युक्त वाद

अन्तर्गत कास 88, 89, 92 रु, 53 व 188 शपथान
कार्यकारी आधीवक्ता को वारी एवं वारी आधीवक्ता
के उपस्थित नहीं होने से अदालत लखरी-प्रथम पंरबी
में खारिज किया जाता है। निष्पत्ति खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली फॉर्मल शुमार लेकर
दार्जिले दफ्तर ही तथा नम्बर से कम ही।



6/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा